HOD E.T.

तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक/या/05/के/2018/808 /भोपाल, दिनांक 3/5/18 /04/2018

प्रति,

प्राचार्य,
स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालय,
स्वशासी/शासकीय एवं महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय :– वर्ष 2018–19 में संस्था के सेमीनार/कान्फ्रेंस/वर्कशाप इत्यादि, कार्यक्रम आयोजित करने के संबंध में।

––00––

आपकी संस्था में सत्र 2018–19 में उपयोगी विषयों पर कार्यशाला/सेमीनार/ प्रशिक्षण आयोजित किये जाने हेतु प्रस्ताव संलग्न प्रारूप में तैयार कर संचालनालय में प्रस्तुत करे, ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सके। प्रस्ताव भेजते समय निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देवें :–

1. भेजे गये प्रस्ताव के प्रत्येक पृष्ठ पर समन्वयक एवं प्राचार्य अपने हस्ताक्षर एवं संस्था की सील के साथ अपना नाम स्पष्ट रूप से टंकित करें।
2. प्रत्येक प्रस्ताव के प्रत्येक पृष्ठ पर सबसे ऊपर दांयी ओर प्रस्ताव का नाम बारीक अक्षरों में अंकित करें।
3. प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पूर्व समन्वयक यह सुनिश्चित करे ले कि, पदवार प्रस्तावित वित्तीय व्यय हेतु शासन द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पालन कर लिया गया है। तथा इस संबंध में प्रस्ताव के साथ अपने हस्ताक्षर से एक प्रमाण–पत्र भी संलग्न करें।
4. प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु तिथियों को इस प्रकार सुनिश्चित करें कि विद्यार्थियों का सामान्य पठन–पाठन प्रभावित नहीं हो।
5. प्रशिक्षण में पृथक–पृथक स्पष्ट करें कि संस्था के कितने अधिकारी/कर्मचारी/शिक्षक लाभान्वित होंगे।
6. प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट करें कि संस्था के बाहर के कितने प्रशिक्षणार्थी लाभान्वित होंगे।
7. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी समन्वयक की होगी कि किसी भी स्थिति में मदवार सीमा का उल्लंघन न हो।
8. शासन/ए.आई.सी.टी.ई./यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित नियमों के तहत ही समन्वयक प्रस्ताव तैयार करें।
9. यदि किसी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा किसी विषय पर पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया गया है उसी विषय पर दोबारा उसे प्रशिक्षण हेतु सम्मिलित नहीं करें।
10. इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जबलपुर, उज्जैन, एस.व्ही. पोलीटेकनिक महाविद्यालय, भोपाल, महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय, जबलपुर, भोपाल, बी.आर. अम्बेडकर पोलीटेकनिक महाविद्यालय, ग्वालियर, खण्डवा न्यूनतम 04 प्रस्ताव अनिवार्य रूप से भेजें।
11. इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जबलपुर, सागर, महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय, ग्वालियर, सागर न्यूनतम 02 प्रस्ताव अनिवार्य रूप से भेजें।
12. इंजीनियरिंग महाविद्यालय नौगांव एवं अन्य पोलीटेकनिक संस्थायें न्यूनतम एक प्रस्ताव अनिवार्य रूप से भेजें।

दिनांक ०५/०५/2018 तक

उक्त जानकारी dte5.planning@mp.gov.in के माध्यम से अविलम्ब भेजें।

"संचालकजी द्वारा अनुमोदित"

संलग्न :– उपरोक्तानुसार,

(डी.के. अग्रवाल)
सिस्टम एनालिस्ट
संचालनालय तकनीकी शिक्षा

Letter.Docx